न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 06, इलाहाबाद।

सन्दर्भ वाद सं0 (एल.ए.) 01/2017

नवी अहमद आदि बनाम सरकार उत्तर प्रदेश राज्य आदि

दिनांक 06–03–2020

वाद पुकारा गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 7ख

प्रार्थना पत्र 14ग आवेदकगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत शपथपत्र 16ग के साथ एल0ए0 वाद प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

मैने आवेदकगण एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदकगण के विद्वान अधिववता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है आवेदकगण तथा उसके समस्त भाइयों का परिवार सांची जमशेदपुर झारखण्ड में बसिलसिले धन्धा रहता है तथा आवश्यकता पढ़ने पर अपने मूल निवास पर आता जाता रहता है। आवेदक लगभग डेढ वर्ष से अपने गॉव नहीं आया और मुकदमें के सम्बन्ध में पूछतॉछ करता रहा। दिनांक 22.11.2018 को अपने घर आया तथा मुकदमें के सम्बन्ध में जानकारी चाहा तो दिनांक 23.11.2018 की तिथि बताया। सभी भाइयों का हाल चाल पूछा तो शपथ कर्ता ने बताया कि मासूम अहमद की मृत्यु वर्ष 2017 में हो गयी इसमें प्रतिस्थापन की कार्यवाही होनी चाहिए थी। आवेदक तथा उसका परिवार कम पढ़ा लिखा है। कायदे कानून की जानकारी न होने के कारण समय से प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र नहीं दे सके । जैसे ही जानकारी हुई बिना किसी विलम्ब के प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र दाखिल कर दिया है। प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र को देने में कोई लापरवाही नहीं किया है न कोई हीला हवाली किया है, बल्कि कायदा कानून की जानकारी न होने के कारण विलम्ब हुआ है ऐसी स्थिति में आवेदकगण को धारा –5 मियाद का लाभ प्रदान किया जाय।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण ने हुये विलंब का कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14ग शपथपत्र 16ग से समर्थित है जिसका कोई खण्डन विपक्षीगण द्वारा नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शिल्पा बनाम मधुकर एवं अन्य, 2001(1) जे0आई0सी0 588 सुप्रीम कोर्ट, म्युनिसपिल कॉरपोरेशन देहली बनाम गिरधारी लाल सप्रू, ए0 आई0आर0 1981 एस0सी0 1159** में यह अभिनिर्धारित किया कि परिसीमा के प्रश्न पर विनिश्चय करते समय न्यायालय को उदार वादी दृष्टिकोण रखना चाहिए।

सैनिक सिक्योरिटी बनाम सील भाई 2008 (71) ए.एल.आर.पेज 302 विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा 5 परसीमा अधिनियम पर न्यायालय को तकनीकी आधार नहीं अपनाना चाहिए। सारगर्भित न्याय तकनीकी न्याय की अपेक्षा प्रदान किया जाना चाहिए और विलम्ब को क्षमा किया जाना चाहिए। प्रार्थी द्वारा जो विलम्ब का कारण दर्शित किया गया है वह समुचित युक्ति–युक्त है। अतः वर्तमान मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में प्रार्थनापत्र 16ग हर्जा पर स्वीकार होने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 14ग मु. 200/–रूपया हर्जा पर स्वीकृत किया जाता है तथा एल0ए0 दाखिल किये जाने में हुए विलम्ब को धारा 5परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत क्षमा किया जाता है।

पत्रावली एल0ए0के अंगीकरण हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद के कार्यालय को भेजी जाय ।

पक्षकार दिनांक 17.03.2020 को न्यायालय जनपद न्यायाधीश इलाहाबाद के समक्ष उपस्थित हो।

(श्रीमती रागिनी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–06,इलाहाबाद।